मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक / 7842 /NR-10/MGNREGA-MP/15, दिनांक : 04/08/2015

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला– समस्त (मध्यप्रदेश)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला पंचायत– समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 के लंबित भुगतान के निराकरण के संबंध में।

––––00––––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ई–एफएमएस अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 के ऐसे भुगतान ट्रांजेक्शन्स जिनकी राशि हितग्राही के खाते में राशि नहीं पहुंची है एवं जिले के खाते में राशि वापिस आ गई है, परन्तु संबंधित ट्राजेक्शन नरेगा पोर्टल पर प्रोसेस प्रतिवेदित होने के कारण उसका एफटीओ दोबारा नही बन पा रहा है, ऐसे प्रकरणों को जिले को जिले के मनरेगा खाते से हितग्राही के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि संबंधित के खाते में किसी भी परिस्थिति में राशि का दोबारा भुगतान न हो। जिलों से प्राप्त प्रकरणों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त स्थितियां उन जिलों में है, जहां पर योजना का खाता बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा तथा सेंट्रल बैंक में संधारित है, जिसमें से बैंक आफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर शेष जिलों में ऐसे प्रकरणों का निराकरण हो गया है।

यदि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 के भुगतान ट्रांजेक्शन्स दिनांक 05/08/2015 तक नरेगा पोर्टल पर प्रोसेस प्रतिवेदित हो रहा है एवं हितग्राही के खाते में राशि नहीं पहुंची है, तो उपरोक्त कार्यवाही करने के लिये निम्नलिखित मार्गदर्शीय निर्देशों का पालन आरटीजीएस करने से पूर्व कर लिया जाये –

उक्त प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति बनाकर निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कराया जाये

1. ग्राम पंचायत/क्रियान्वयन एजेंसी से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लिया जाये कि संबंधित के खाते में राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा हितग्राही की नरेगा पोर्टल पर दर्ज बैंक खाता अनुसार पासबुक से सत्यापन की कार्यवाही कर ली जाये। उक्त कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सुनिश्चित करें। **समय–सीमा 08/08/2015**

2. यदि एफटीओ की राशि जिला स्तरीय खाते से आहरित हुई है तो जिला पंचायत यह सुनिश्चित कर ले कि रिजेक्टेड ट्रांजिक्शन्स का भुगतान जिले के खाते में वापिस हुआ है अथवा नहीं। यह कार्यवाही लेखाधिकारी जिला पंचायत सुनिश्चित करें। **समय–सीमा 10/08/2015**

3. दिनांक 14 जुलाई 2015 को बैंकों के साथ हुई कार्यशाला में बैंकों एवं एनआईसी को उपरोक्तानुसार प्रकरणों पर कार्यवाही कर नरेगा पोर्टल पर रिजेक्शन करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे कि उक्त ट्रांजेक्शन को रि–प्रोसेस किया जा सके। अतः यह संभव है कि उक्त प्रकरण नरेगा पोर्टल पर दिनांक 10/8/2015 तक रिजेक्शन के रूप में प्रतिवेदित हो जाये। ऐसी स्थिति में आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान नहीं किया जाये एवं नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से ही एफटीओ बनाया जाये। **समय–सीमा 10/08/2015**

4. यदि बिन्दु क्रमांक [illegible] 2 अनुसार यह प्रमाणित [illegible] कि संबंधित हितग्राही के खाते में राशि नहीं पहुंची है एवं जिले के खाते में राशि वापिस आ गई [illegible] नरेगा पोर्टल पर परीक्षण दिनांक पर प्रोसेस्ड प्रतिदेदित है तो ऐसी स्थिति में मजदूरों के सही खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी हेतु से भुगतान कराया जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत [illegible] लेखाधिकारी जिला पंचायत। समय–सीमा 14/08/2015

5. ऐसे समस्त ट्रांजेक्शन्स जिनका आहरण जिला स्तरीय खाते से हुआ है, परन्तु भुगतान संबंधित हितग्राही के खाते में नहीं हुआ है एवं जिला स्तरीय खाते में राशि हस्तांतरण नहीं हुई है तो यह संभव है कि गलत खाते में राशि ट्रांसफर हो गई है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि रिजेक्शन होने के पूर्व हितग्राही का खाता नरेगा सॉफ्ट में क्या था ? उक्त खाते में राशि हस्तांतरण का प्रकरण का परीक्षण जिला पंचायत लेखाधिकारी द्वारा किया जाये। यदि उक्त खाते में राशि त्रुटिवश ट्रांसफर हो गई है तो ऐसे प्रकरणों में राशि वापिसी की कार्यवाही तत्काल की जाये। समय सीमा– **10/08/2015**

6. अतः ऐसे प्रकरणों में राशि वापिसी की कार्यवाही एवं हितग्राही के सही खाते की जानकारी से परिषद् मुख्यालय को अवगत करा देंवे, जिससे कि संबंधित हितग्राही का खाता दुरूस्त करने की कार्यवाही की जा सके तथा सही हितग्राही के खाते में राशि हस्तांतरण की जा सके। **यह कार्यवाही जिला पंचायत के लेखाधिकारी द्वारा की जाये। समय सीमा–** 10/08/2015

7. पोस्ट आफिस अथवा सहकारी बैंक द्वारा यदि किसी ट्रांजेक्शन का भुगतान नहीं किया गया है तो चिन्हांकित करके भुगतान संबंधित संस्थाओं के माध्यम से अविलंब कराया जाये।

8. ऐसे समस्त भुगतानों की सूची जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जायें तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त भुगतान किसी भी स्थिति में दोबारा न हो। यदि आरटीजीएस से भुगतान करने के उपरान्त उक्त ट्रांजेक्शन्स को नरेगा पोर्टल पर रिजेक्शन किया जाता है तो दोबारा भुगतान की संभावना हो सकती है। अतः जिला एवं जनपद पंचायत यह सुनिश्चित करें कि उक्त रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन्स को नरेगा सॉफ्ट में एफटीओ बनाते समय आलरेडी पैड प्रावधान का उपयोग करते हुये भुगतान को निरस्त कर दे, जिससे कि दोबारा भुगतान न हो सके।

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही 14 अगस्त 2015 तक पूर्ण करते हुये परिषद् मुख्यालय को अवगत कराया जाये।

(स्मित भारद्वाज)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

पृ.क्र./ 7843 /MIS/MGNREGS-MP/15, दिनांक 04/08/2015

प्रतिलिपि :–

- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- संभागीय आयुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।
- संयुक्त आयुक्त (वित्त), म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सिस्टम एनालिस्ट एवं स्टेट नोडल अधिकारी, एम.आई.एस./ई–एफएमएस, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आयुक्त)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल